

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।

सूची-14 फॉर्म सं०- 562

रमजान अली

बनाम

रहमतुल्लाह अंसारी वगैरह

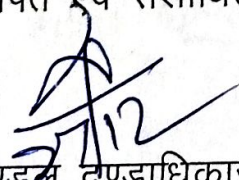
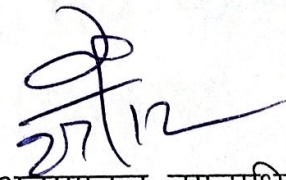
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - तारीख से तक

जिला- पलामू **विविध वाद सं०- 40 / सन् 2022- 23**

केस का विषय- धारा 144 दं० प्र० सं०

आदेश की कं० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
1	2	3										
27.12.22	मैं प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं आवेदन पत्र के अवलोकन से संतुष्ट हूँ कि निम्नांकित भूमि के ऊपर दखल- कब्जा को लेकर उभय पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है, जिससे शांति भंग होने की सम्भावना बनी हुई है, जो मेरे अधिकार सीमा क्षेत्र के अंदर है। अतः निम्नांकित विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं० प्र० सं० की प्रक्रिया कायम करते हुए उस पर उभय पक्ष को जाने से रोका जाता है। यह भी आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष दिनांक- 03/01/2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में मेरे न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर कारण पृच्छा दाखील करें कि क्यों नहीं निर्गत नियम उनके विरुद्ध- निरपेक्ष किया जाय। विवादित भूमि का विवरण <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>विवादित रकबा</th><th>चौहद्दी</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मुरुमदाग</td><td>34</td><td>828</td><td>5.50 डिसमिल</td><td>उ०- रहमतुल्लाह अंसारी द०- नीज प्रथम पक्ष पू०- टोंगरी प०- रोड</td></tr> </tbody> </table>	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	विवादित रकबा	चौहद्दी	मुरुमदाग	34	828	5.50 डिसमिल	उ०- रहमतुल्लाह अंसारी द०- नीज प्रथम पक्ष पू०- टोंगरी प०- रोड	
मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	विवादित रकबा	चौहद्दी								
मुरुमदाग	34	828	5.50 डिसमिल	उ०- रहमतुल्लाह अंसारी द०- नीज प्रथम पक्ष पू०- टोंगरी प०- रोड								
लेखापित एवं संशोधित	 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।	 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।										

आदेश की
कंसं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

1

03-01-22

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित
द्वितीय पक्ष की होर से वकालतनामा पारम कारिवली
उभय पक्ष पक्ष की होर से खुलनामा ~~पारम~~ पक्ष
कारिवली युलटनामा। वीरु
कारवर्ग (न्यायिक
विधानमंड)

03/01/22